संख्या- 65 /2019 / 370 /चार-2019

प्रेषक,

शिशिर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक 13 मार्च, 2019**

विषय:- राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर में 40 कि0वा0 क्षमता का ग्रिड कनेक्टेड रूफटाप पावर प्लांट की आपूर्ति एवं स्थापना हेतु प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु निर्गत शासनादेश दिनांक 10 मार्च, 2019 में आंशिक संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या- 55/2019 /370/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश संख्या- 55/2019 /370/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 के पृष्ठांकन में मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ तथा परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा) विकास भवन गोरखपुर का अंकन त्रुटिवश छूट गया है। अत: पृष्ठांकन में 'मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ' तथा परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा) विकास भवन गोरखपुर पढ़ा जाय।

3- शासनादेश संख्या- 55/2019 /370/चार-2019 दिनांक 10 मार्च, 2019 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा ।

भवदीय,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

संख्या - 65 /2019 / 370 /चार-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार, (लेखा व हकदारी) प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. उपनिदेशक , राजकीय बोद्ध संग्रहालय, गोरखपुर
3. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. कोषाधिकारी, गोरखपुर
5. निदेशक, उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा) विकास भवन गोरखपुर
6. परियोजना अधिकारी, उ0प्र0 नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विकास अभिकरण (यू0पी0नेडा) विकास भवन गोरखपुर
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-7 /वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग 4
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(शिशिर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।